MGPE 008

Major Human Rights Treaties

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Adopted by the United Nations General Assembly in 1948, the UDHR is a milestone document that proclaims the inalienable rights which everyone is entitled to as a human being.

सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र (यूडीएचआर) - 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रत्येक व्यक्ति के मानव होने के नाते उन्हें प्राप्त अविच्छिन्न अधिकारों की घोषणा करता है।

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Adopted in 1979 by the UN General Assembly, CEDAW defines what constitutes discrimination against women and sets up an agenda for national action to end such discrimination.

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) - 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, सीईडीएडब्ल्यू महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को परिभाषित करता है और ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का एजेंडा निर्धारित करता है।

Convention on the Rights of the Child (CRC)

Adopted in 1989, the CRC recognizes the civil, political, economic, social, and cultural rights of children and requires that these rights be granted to all children without discrimination.

बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) - 1989 में अपनाया गया, सीआरसी बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि ये अधिकार सभी बच्चों को बिना भेदभाव के प्रदान किए जाएं।

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Adopted in 2006, the CRPD aims to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities.

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (सीआरपीडी) - 2006 में अपनाया गया, सीआरपीडी सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण और समान आनंद सुनिश्चित करने, उनकी रक्षा करने, और उन्हें बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

Adopted in 1965, ICERD commits its members to the elimination of racial discrimination and the promotion of understanding among all races.

Features and Objectives of Satyagraha

Nonviolence (Ahimsa)

Satyagraha is rooted in the principle of nonviolence, advocating for peaceful resistance and opposition to injustice without resorting to physical violence.

अहिंसा - सत्याग्रह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है, जो शांति से प्रतिरोध और अन्याय का विरोध करने की वकालत करता है बिना शारीरिक हिंसा का सहारा लिए।

Truth (Satya)

The pursuit of truth is central to Satyagraha, emphasizing honesty, transparency, and adherence to moral principles in the struggle for justice.

सत्य - सत्याग्रह में सत्य की खोज केंद्रीय है, जो न्याय के संघर्ष में ईमानदारी, पारदर्शिता, और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने पर जोर देती है।

Fearlessness (Abhaya)

Practitioners of Satyagraha must be fearless and resolute in facing oppression and injustice, maintaining their stance without succumbing to fear or intimidation.

अभय - सत्याग्रह के अनुयायियों को अन्याय और उत्पीड़न का सामना करते समय निडर और दृढ़ रहना चाहिए, अपने रुख को बिना डर या धमकी के बनाए रखना चाहिए।

Civil Disobedience

Satyagraha includes the practice of civil disobedience, where unjust laws are openly defied in a nonviolent manner to bring attention to the need for reform.

सविनय अवज्ञा - सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का अभ्यास शामिल है, जहां अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक तरीके से खुलेआम विरोध किया जाता है ताकि सुधार की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया जा सके।

Objectives of Satyagraha

Social and Political Reform

The primary objective of Satyagraha is to bring about social and political reform, addressing injustices and inequities through peaceful means.

सामाजिक और राजनीतिक सुधार - सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाना है, शांतिपूर्ण तरीकों से अन्याय और असमानताओं का समाधान करना।

Empowerment of the Oppressed

Satyagraha aims to empower the oppressed and marginalized by giving them a voice and a method to assert their rights without violence.

उत्पीड़ितों का सशक्तिकरण - सत्याग्रह का उद्देश्य उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना है, उन्हें बिना हिंसा के अपने अधिकारों को व्यक्त करने का तरीका प्रदान करना।

Resolution of Conflicts

Satyagraha aims to resolve conflicts through dialogue and negotiation, fostering mutual understanding and cooperation.

संघर्षों का समाधान - सत्याग्रह का उद्देश्य संवाद और बातचीत के माध्यम से संघर्षों का समाधान करना है, परस्पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।

Creating a Just Society

Ultimately, the goal of Satyagraha is to create a just and equitable society where all individuals can live with dignity and freedom.

न्यायपूर्ण समाज की रचना - अंततः, सत्याग्रह का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाना है जहां सभी व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जी सकें।